कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 के विनियम 46 के संदर्भ में वेबसाइट पर प्रकटीकरण।

कंपनी का नया नाम और पुराना नाम

हमारी कंपनी को 25 अप्रैल, 1970 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में "हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में नई दिल्ली में शामिल किया गया था। इसके बाद, हमारी कंपनी का नाम बदलकर इसका वर्तमान नाम " हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड" कर दिया गया और 9 जुलाई, 1974 को तत्कालीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा द्वारा निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया।

व्यवसाय का विवरण

कंपनी की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के निर्माण हेतु दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना या देश में आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना या कार्यान्वित करना;

2. नये या उप नगरों की स्थापना का पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषण करना या कार्य करना;

3. राज्य आवास (और/या शहरी विकास) बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, विकास प्राधिकरण आदि द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचर और बॉन्ड में विशेष रूप से आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए सदस्यता लेना;

4. निर्माण सामग्री के औद्योगिक उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तपोषण करना या कार्य करना;

5. देश में आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण या कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ भारत सरकार और अन्य स्रोतों से अनुदान या अन्यथा के रूप में समय-समय पर प्राप्त धनराशि का प्रबंधन करना;

6. भारत और विदेशों में आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों की डिजाइनिंग और योजना की परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन, स्थापना, सहायता, सहयोग और परामर्श सेवाएं प्रदान करना;

7. आवास और शहरी विकास क्षेत्रों में उद्यम पूंजी निधि का व्यवसाय शुरू करना, इन क्षेत्रों में नवाचारों को सुविधाजनक बनाना और उपरोक्त क्षेत्रों में सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित उद्यम पूंजी निधि की इकाइयों/शेयरों आदि में निवेश करना और/या सदस्यता लेना;

8. आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों के प्रयोजन के लिए हुडको का अपना म्यूचुअल फंड स्थापित करना और/या उपरोक्त प्रयोजन के लिए सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित म्यूचुअल फंड की यूनिटों आदि में निवेश करना और/या सदस्यता लेना।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 और अन्य लागू कानूनों के साथ-साथ समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन, भारत के राष्ट्रपति के पास अधिनियम के साथ-साथ समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

गैर-कार्यकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक/गैर-सरकारी निदेशक) को भुगतान करने के मापदंड।

हडको के एमओए और एओए के अनुच्छेद संख्या 39 (पी) के अनुसार, गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को निदेशक मंडल या उसकी किसी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने की फीस का भुगतान किया जा सकता है, जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। अधिनियम के किसी प्रावधान के अनुसरण में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की किसी भी अलग बैठक में भाग लेने के लिए भी शुल्क का भुगतान किया जाएगा। स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बैठकों में भाग लेने के लिए भी शुल्क देय होगा।

वर्तमान वर्तमान में, गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए 20,000/- रुपये की दर से बैठने की फीस का भुगतान किया जा रहा है और निदेशकों की समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 15,000/- रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी नामित) निदेशकों को निदेशक मंडल या उसकी किसी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक या बैठने की फीस का भुगतान नहीं किया जाता है।

सूचीबद्ध इकाई के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी जो निवेशकों की शिकायतों को सुलझाने और सहायता करने के लिए जिम्मेदार हैं। शिकायत निवारण के लिए ईमेल पता और अन्य प्रासंगिक विवरण

श्री हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
हडको भवन,इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड -नई दिल्ली ,110003
टेलीफोन नंबर :011-24646899
ई-मेल आईडी: cswhudco@hudco.org

मीडिया कम्पनियों और या उनके सहयोगियों/के साथ किए गए करार का विवरण।

हडको ने रचनात्मक विज्ञापन कैम्पेन तैयार करने और प्रासंगिक मीडिया योजनाओं का सुझाव देने के लिए प्रोफेशनल विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु फरवरी 2022 से फरवरी 2024 तक की दो साल की अवधि के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के साथ करार किया है। हडको के ब्रांड को निरंतर कैम्पेन के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विज्ञापन एजेंसियों को शामिल किया जाता है:

1. मेसर्स एडफैक्टर्स एडवरटाइजिंग एलएलपी
2. मेसर्स अकर एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3. मेसर्स क्रिटिक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4. मेसर्स संकेत कम्युनिकेशंस
5. मेसर्स स्पैन कम्युनिकेशंस
6. मेसर्स श्रेष्ठा कम्युनिकेशंस